



2026:AHC:51306

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 3417 वर्ष 2026

सत्य प्रकाश राय

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बिजेंद्र कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., शिव कुमार पाल

कोर्ट नंबर - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बिजेंद्र कुमार मिश्रा और प्रतिवादीयों के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि 31.12.1997 को रेलवे सुरक्षा बल, वाराणसी के कार्यालय में हेड कांस्टेबल के पद पर उनका चयन हुआ था और 02.09.1998 को उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। 27.09.2024 को रिट याचिकाकर्ता को चिकित्सकीय रूप से अक्षम घोषित कर दिया गया और उन्हें मेडिकल श्रेणी बी-टू से हटाकर बी-वन में रख दिया गया। 28.09.2024 को एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया गया और उसके बाद 24.09.2025 को इस संबंध में एक आदेश पारित किया गया।
3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादीयों को दिनांक 24.09.2025 के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाए जिसके तहत आरपीएफ हेड कांस्टेबल के पद से हटाकर किसी उपयुक्त पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया था।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. पाल ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का सर्वप्रथम निस्तारण द्वितीय प्रतिवादी प्रधान मुख्य संरक्षण आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर द्वारा किया जाना आवश्यक है।

डब्ल्यूआरआईए संख्या 3417 वर्ष 2026

2

5. अदालत में दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता 27.03.2026 तक, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, एक विस्तृत अभ्यावेदन दूसरे प्रतिवादी प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके बाद, दूसरा प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता के दावे पर दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा।

6. यदि दूसरे प्रतिवादी की यह राय है कि इस मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, तो कागजात उसी को भेज दिए जाएं।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

12 मार्च, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।